



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233748
CG-DL-E-25022022-233748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 823]
No. 823]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 853(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 के खण्ड (छ) के अनुसरण में श्री नरेश बंसल, सदस्य, राज्य सभा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर, साम्बा का सदस्य होने के लिए राज्य सभा द्वारा 20 दिसंबर, 2021 को विधिवत रूप से उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित किया गया है।

सदस्य का कार्यकाल 12.03.2025 तक होगा।

[फा. सं. जेड- 28016/178/2019- पीएमएसएसवाई-IV]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2022

S.O. 853(E).—In pursuance of clause (g) of Section 4, read with Sub-Section (1) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), Shri Naresh Bansal, Member, Rajya Sabha has been duly elected on 20th December, 2021 by the Rajya Sabha to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, **Vijaypur, Samba** subject to the provisions of the said Act.

The term of office of member shall be upto 12.03.2025.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY-IV]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor